XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

(1)

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व अपील वाद संख्या–21/2005

धारा–48 (F) B.T. Act अन्तर्गत

1. सोने लाल टुडु, पिता–स्व0 लखी राम टुडु
2. बम लाल टुडु, पिता–स्व0 लखी राम टुडु
3. मसोमात मीरा देवी उर्फ बड़की हेम्ब्रम, पति–स्व0 लखी राम टुडु

सभी का साकिन–कजरा टोला दोहिया बाड़ी, थाना–मीरगंज, जिला–पूर्णियाँ............

आवेदकगण

बनाम्

1. फेकन मंडल
2. सुरेश मंडल

दोनों का पिता–हरि मंडल

साकिन–भंगहा, थाना–फलका, जिला–कटिहार

3. चिन्ती देवी, पति–स्व0 सत्यनारायण मंडल
4. सुभाष प्रसाद मंडल, पिता–स्व0 सत्यनारायण मंडल
5. अनिल कुमार मंडल, पिता–स्व0 सत्यनारायण मंडल
6. मनोज कुमार मंडल, पिता–स्व0 सत्यनारायण मंडल
7. पप्पू कुमार मंडल (अव्यस्क), पिता–स्व0 सत्यनारायण मंडल
8. सविता देवी, पिता–स्व0 सत्यनारायण मंडल
9. अनीता देवी, पिता–स्व0 सत्यनारायण मंडल

सभी का साकिन–कजरा, थाना–मीरगंज, जिला– पूर्णियाँ ....

विपक्षीगण

आदेश

आवेदकगण भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा बटाईदारी वाद संख्या–130/1996 मे पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद दायर किया है। आवेदक के पूर्वज स्व0 लखी राम टुडु वर्ष 1959 में विपक्षीगण के पूर्वज स्व0 मिश्री मंडल से मौजा–कजरा, थाना नं0–133, खाता संख्या–352, खेसरा संख्या–468, रकवा–02.18 एकड़ जमीन बटाई पर लिया था। विपक्षी द्वारा जमीन छोड़ने की धमकी देने के बाद आवेदक के पूर्वज लखी राम टुडु ने भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, कोशी क्रांति, पूर्णियाँ के न्यायालय में धारा–48 (F) B.T. Act अन्तर्गत वाद संख्या–592/1980–81 दायर किया। उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.1981 को आवेदक के दावा को स्वीकृत किया गया। इस आदेश के विरूद्ध भूस्वामी मिश्री मंडल के पुत्र सत्यनारायण मंडल माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0 सी0 नं0–2560/1982, 3408/1982, 3409/1982, 3410/1982 एवं 3411/1982 प्रारम्भ किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.1988 को निम्न न्यायालय के आदेश को

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

निरस्त किया गया। पुनः कुछ समय बाद दोनों पक्षों के बीच अच्छा संबंध बन गया। पुनः वर्ष 1996 में विपक्षीगण लखी राम टुडु को जमीन खाली करने का धमकी देने लगा। फलस्वरूप लखी राम टुडु ने भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा के न्यायालय में धारा–48 (F) B.T. Act अन्तर्गत वाद संख्या–130/1996 प्रारम्भ किया। निम्न न्यायालय द्वारा सभी भूस्वामी को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में आवेदक के दावा को अमान्य करने के कारण वाद संख्या–130/1996 को खारिज कर दिया गया। तदुपरान्त लखी राम टुडु वाद संख्या–130/1996 में पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–8708/1997 दाखिल किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.1998 को निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए पूर्व में दाखिल वाद संख्या–592/1980–81 के अभिलेख के साथ भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता को संबंधित पक्ष को सूचना निर्गत कर बोर्ड का गठन करते हुए वाद की सुनवाई करने हेतु निर्देश दिया गया। दुर्भाग्यवश वर्ष 2000 ई0 में लखी राम टुडु की मृत्यु हो गयी। इसके बाद विपक्षीगण पुनः आवेदक को जमीन खाली करने की धमकी देने लगा। अतः आवेदक भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में वाद संख्या–130/1996 की सुनवाई हेतु आवेदन दिया। निम्न न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 13.11.2003 को समझौता बोर्ड का गठन किया गया। आवेदक द्वारा पंच का नाम दिया गया किन्तु विपक्षी द्वारा पंच का नाम नहीं देने के कारण बोर्ड द्वारा स्थानीय मुखिया को पंच मनोनीत किया गया। पुनः दिनांक 29.05.2004 को निम्न न्यायालय द्वारा बोर्ड से मामला को वापस लेकर पक्षकारों को लिखित साक्ष्य देने का निर्देश दिया गया। पुनः वाद को दिनांक 16.10.2004 को आदेशार्थ रखा गया। निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर आवेदक के बटाई हक को अमान्य कर दिया गया। इस प्रकार निम्न न्यायालय में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को नजर अन्दाज करते हुए नियम के विरूद्ध आदेश पारित किया गया। अतः आवेदक निवेदन करता है कि वाद की सुनवाई अपने स्तर से करते हुए नियमानुकूल फैसला करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि आवेदकगण द्वारा प्रारम्भ किया गया यह वाद निर्वहन योग्य नहीं है। सर्वप्रथम इस अपील में विपक्षी संख्या–4 की मृत्यु वर्ष 2004 ई0 में ही हो चुकी है। फिर भी मृत व्यक्ति को पक्षकार बनाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निम्न न्यायालय में भी स्थल जाँच कर एवं साक्ष्यों के आधार पर आदेश पारित किया गया। आवेदकगण द्वारा कभी भी प्रश्नगत जमीन पर खेती नहीं किया गया है। जमीन को हड़पने के उद्देश्य से आवेदक बार–बार वाद दायर करता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई करने हेतु वाद को निम्न न्यायालय में भेजा गया और आवेदक को इसमें कोई रूचि नहीं थी, जो प्रमाणित करता है कि आवेदक कभी बटाईदार नहीं था। अतः विपक्षीगण निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

दिनांक 13.02.2012 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक का कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण करने की बात कही गयी। परन्तु अभिलेख में कहीं भी निरीक्षण टिप्पणी संधारित नहीं है। निम्न न्यायालय के द्वारा गवाहों को भी परीक्षण सही ढ़ंग से नहीं किया गया। इसलिये निम्न न्यायालय का आदेश वैध नहीं है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस वाद् में जमीन मालिक–रैयत का रिस्ता नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा भी आवेदक के दखल–कब्जा को जबरदस्ती दखल–कब्जा कहा गया। यह

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	उनके द्वारा किया गया स्थल निरीक्षण एवं गवाहों के परीक्षण के आधार पर किया गया, इसलिये निम्न न्यायालय का आदेश वैध है। उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा सुनवाई के बाद स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है एवं इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। इस निर्णय के साथ आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है एवं वाद को समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। समाहर्त्ता, पूर्णियाँ समाहर्त्ता, पूर्णियाँ	